20/4/17 बार एसोसियेशन नसीराबाद के कार्य स्थगन प्रस्ताव के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 11/5/17 को पेश हो।
आदेशानुसार
रीडर

11/5/17 पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर दौरे/अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 27.6.17 को पेश हो।
आदेशानुसार

न्याय आपके द्वार अभियान - 2017 रीडर

27.6.17

पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम [illegible] के हाल ख.नं. 440/0.16, 451/0.15 की आराजी मूल खातेदार गंगाराम पुत्र कान्हा, रामनाथ पुत्र श्रीराम पुत्र कानू पुत्र मोटू ने प्रार्थीगण के पिता जी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 2.7.1978 को बेचान कर दी थी, किन्तु उक्त विक्रय पत्र की पालना राजस्व अभिलेख में नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर दखलंदाजी कर रहे हैं व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थीगण के पिता द्वारा खसरा नं. 600 रकबा 0-190 व 572 रकबा 0-1100 की आराजी गंगाराम पुत्र कान्हा व श्रीराम पुत्र कानू से जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट : [illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
कृषक की भी किन्तु वर्तमान जमाबंदी में विक्रेता श्रीराम का नाम भूस्वामी के तौर अंकित है। विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख में नाप की भिन्नता होने के कारण विक्रय पत्र की पालना राजस्व अभिलेख में नहीं हुई है हाल ख. नं. 451/0.15 व 440/0.16 विक्रेता के वारिसान व अन्य व्यक्तियों की खातेदारी में दर्ज है। आराजी मुतनाजा के समय हस्तांतरण में वाद बहुलता होगी प्रकरण प्रथम दृष्टया सहक प्रार्थीगण सिद्ध होता है। तदनुसार सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति की संभावना भी सहक प्रार्थीगण सिद्ध होती है शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही सिद्ध होगे।	
अतः ग्राम बेनवड़ा के हाल खसरा नम्बर 451 रकबा 0.15 व 440 रकबा 0.16 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रा.पत्र "स्वीकार" किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखे अन्यत्र बेचान नहीं करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नियम से बाद में दाखिल दफ्तर हो।	
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बौंली	